5रु. Rs.5

10रु. कोर्ट फी COURT FEE Rs.10 भारत INDIA दस रुपये TEN RUPEES

5रु. COURT FEE Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

59

न्यायालय – श्रीमान पिठासीन अधिकारी महोदय राजस्व मण्डल ग्वालियर

प्र क / ~~2018 रिवीजन~~ निगरानी–4999/2018/उज्जैन/भू.रा.

ईश्वरलाल पिता रामलालजी जाति – कलाल
निवासी – ग्राम बिरियाखेडी तह. बडनगर जिला उज्जैन ..... आवेदक

पार्थी ... द्वारा प्रस्तुत आर.एस.2164
दिनांक 13/7/18
13-7-18
अधीक्षक
आयुक्त कार्यालय
उज्जैन

विरूद्ध

गणपत पिता भागीरथजी कुशवाह
निवासी – बीराखेडी तह बडनगर जिला उज्जैन

.....अनावेदकगण

<u>पुर्नरिक्षण आवेदनपत्र अंतर्गत धारा 50 भु. राजस्व संहिता नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेशनुसार सीमांकन प्रकरण कमांक 109/अ 12 /17.18 मे पारित रिपोर्ट दिनॉक– 23/06/2018 अनुसार सम्पुर्ण सीमांकन कार्यवाही से शुब्ध होकर ।</u>

529
13/7/18

माननीय महोदय,
आवेदक की ओर से पुर्नरिक्षण आवेदनपत्र निम्नलिखीत सविनय पेश है।

प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य

यह कि ग्राम बिरियाखेडी तह बडनगर मे एक भुमि आवेदक के एक मात्र स्वामित्व एंव आधिपत्य की भुमि सर्वे नं 632 /1 छे सो बत्तीस बटा एक रकबा 2.81 दो दशमलव एक्कासी भुमि ग्राम बिरियाखेडी तह. बडनगर मे स्थित है। उक्त भुमि को आवेदक के पिता से पैत्रिक रूप मे प्राप्त हुयी है आवेदक के पिता श्री रामलालजी व उनके भाई श्री मोतीलालजी ने उक्त भुमि को स्व ठाकुर साहब श्री ब्रजकिशारजी माथुर एवं कुँवर श्री राजेन्द्रसिंहजी माथुर से कय की थी । उसके बाद आवेदक के पिता व काका ने आपसी बॅटवारा किया । आवेदक के पिता श्री रामलालजी को उक्त भुमि हिस्से मे प्राप्त हुयी उसके बाद आवेदक को उक्त भुमि प्राप्त हुयी

यह कि आवेदक की उक्त भुमि का सीमांकन पुर्व मे करवाया जब मोके आवेदक व उसके काका का बॅटवार हुआ । अनावेदक एवं उसके अन्य भाई उदयलाल , रमेशचन्द्र, राजाराम , गणपत के मध्य आपस मे बॅटवार किया गया तब पटवारी मोजा सीमांकन के लिये आये । जब सीमांकन कार्यवाही आरम्भ की तो आवेदक की भुमि का ही सीमाकंन किया गया । जबकि अनावेदक की भुमि मे कोई जरीब नही चलाई ।अनावेदक की भुमि से लगी शासकीय भुमि है जिस पर भी अनावेदकगण का कब्जा है । ... सर्वे नं 631 /1 के लिये आवेदनपत्र दिया तो

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-4999/2018/उज्जैन/भू.रा.

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.10.2018	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री आर.एस. यादव उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसील न्यायालय के आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 03.01.19 को कलेक्टर, जिला उज्जैन के समक्ष उपस्थित हों। प्रशासकीय सदस्य	

Scanned by CamScanner